5/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की नामिल पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक नामिल की रसीदें पेश नहीं की अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. आदेश अन्तर्गत 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ